

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) 📠(फैक्स) 07766-266740 ✉E-Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediff.com

क्रमांक/मा.चि./2019/ 1233
प्रति.

/धरमजयगढ़, दिनांक - 23/10/19

मुख्य वन संरक्षक,
विलासपुर वृत्त
विलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Constructio of "765 KV/D/C Dharamjaigarh pool Section B- Raigarh (Tamnar) pool Transmission line" awarded through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) rout to Goa Tamnar Transmission Project Limited (GTTPL)- Regarding Delay in getting forest clearance for Diversion of 137.014 ha. Of forest land in Chhattisgarh State.

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRNS/35105/2018

- संदर्भ :-**
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/ एल.एम.- 479-173/1902 दिनांक 31.07.2019
 2. आपका पत्र क्रमांक/तक.अधि./5310 दिनांक 02.08.2019

—O—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्रतिवेदन है कि आवेदक संस्थान गोवा तमनार ट्रॉशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.के 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य रकबा 137.014 हे. के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर द्वारा 03 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी।

प्रकरण में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चाही गई 03 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार तैयार कर प्रस्तुत है

क्र.	विवरण	प्रतिवेदन
1	कोरबा वन मण्डल द्वारा वेब अपलोड किये गये प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र खसरा नम्बर 44/1 रकबा 20.00 हे. खसरा नम्बर 941/1 रकबा 10.00 हे. एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. - 99 रकबा 10.00 हे. का के.एम.एल. फाईल नहीं खुल रही है। पुनः सही के.एम.एल. फाईल अपलोड करें। के.एम.एल. फाइल सी.डी. में खुल रही है परन्तु वेब पर नहीं खुल रही है।	वन मण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/त.अ. /5252 दिनांक 26.08.2019 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रकरण में बिन्दु क्रमांक 01 द्वारा चाही गई के.एम.एल. फाईल वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। संलग्न है।
2.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. -97 में पूर्व में वृक्षारोपण होना प्रतीत हो रहा है। वन मण्डलाधिकारी जांजगीर चाम्पा स्वयं के स्थल निरीक्षण के उपरांत वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र दें।	वन मण्डलाधिकारी जांजगीर चाम्पा द्वारा पत्र क्रमांक/मा. चि./6203 दिनांक 17.09.2019 एवं क्रमांक 6615 दिनांक 10.10.2019 द्वारा उक्त बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्व प्रस्तावित कक्ष क्रमांक पी. एफ. 97 के स्थान पर क्षेत्र परिवर्तित कर कक्ष क्रमांक आरएफ 87 में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित कर प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तावित क्षेत्र के उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र परिवर्तन प्रमाण पत्र सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।
3.	कोरबा वन मण्डल द्वारा वन मण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र -III वेब पर अपलोड नहीं किया गया है। अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।	वन मण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/5252 दिनांक 26.08.2019 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रकरण में बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार वन मण्डलाधिकारी कोरबा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र III अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

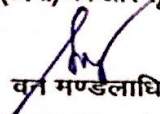
वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

कमांक/मा.वि./2019/ 1234 .

/धरमजयगढ़. दिनांक - 28/10/19

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उप प्रबंधक, गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमि.पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल